



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21666

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42298 वर्ष 2025

संजय उर्फ रामनारायण लोध

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अमित कुमार श्रीवास्तव, बृजेश कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह जमानत याचिका आवेदक संजय उर्फ रामनारायण लोध की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमा अपराध संख्या 279/2022, धारा 302, 201, पुलिस स्टेशन मोहना, जिला सिद्धार्थ नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

यह दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा 07.05.2025 को खारिज कर दी गई थी।

सिद्धार्थ नगर स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पीए) अधिनियम, ने दिनांक 22.01.2026 को अपनी रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि घटना के सूचनादाता और चश्मदीद गवाह नेपाल के निवासी हैं और उक्त गवाहों को नोटिस तामील कराने के संबंध में गृह मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है। इसी कारण से मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि ऊपर उल्लिखित पाँच गवाहों को छोड़कर, आरोप पत्र में उल्लिखित अन्य सभी गवाह देश में ही रह रहे हैं और उन्हें परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता था। अभी तक परीक्षण न्यायालय के समक्ष किसी भी गवाह की जाँच नहीं की गई है। मुकदमे का भविष्य अनिश्चित है। आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 7 अप्रैल 2024 से जेल में बंद है। उपरोक्त मामले का मुकदमा निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए वह किसी भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए, मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता; पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी; आवेदक के विचाराधीन होने और शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए; सर्वोच्च न्यायालय के मनीष सिसोदिया बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2024, (एससी) मुकदमा 677 मामले में अनुच्छेद 53 पर विचार करते हुए; और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए; मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करे, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही हो, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक उसमें निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो अवर न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाए और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

30 जनवरी 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिषेक

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।